

**THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION)
AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM
SERVICES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend, and add special provisions in, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 in its application to the State of Rajasthan, with a view to restore the agricultural safeguards for the farmers of the State of Rajasthan ensured through the regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm labourers and also all others engaged in agriculture and related activities.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services (Rajasthan Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 1, Central Act No. 20 of 2020.- For the existing sub-section (2) of section 1 of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 (Central Act No.20 of 2020), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.”.

3. Amendment of section 2, Central Act No. 20 of 2020.-

In section 2 of the principal Act,-

(i) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) so renumbered , the following clause shall be inserted, namely:-

“(a) “APMC Act” means the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961);”;

(ii) after the existing clause (b) and before the existing clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(bb) “Director” means the Director of Agriculture Marketing for the State of Rajasthan;”;

(iii) after the existing clause (j) and before the existing clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(jj) “Market Committee” means the Market Committee as defined in clause (ix) of section 2 of the APMC Act;

(jjj) “market yard” means the principal market yard or sub-market yard or private sub-market yard as notified under section 5 of the APMC Act;

(jjjj) “Minimum Support Price” means the price announced for crop purchases by the Central Government in consultation with the Commission for Agricultural Costs and Prices;”;

(iv) for the existing clause (m), the following shall be substituted, namely:-

“(m) “prescribed” means prescribed by the rules made by the Central Government or the State Government, as the case may be, under this Act;” and

(v) for the existing clause (p), the following shall be substituted, namely:-

“(p) “State” means the State of Rajasthan.”.

4. Amendment of section 5, Central Act No. 20 of 2020.-

After the existing proviso to section 5 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that no Farming Agreement for the sale or purchase of a crop shall be valid unless the price paid for such agricultural produce is equal to, or greater than, the prevailing Minimum Support Prices, announced by the Central Government for that crop.”

5. Amendment of section 7, Central Act No. 20 of 2020.-

For the existing section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“7. Farming produce liable to fee/cess/cesses/charges.- (1) Where a farming agreement has been entered into in respect of any farming produce under this Act, such produce shall be liable to the fee/cess/cesses/charges payable under the APMC Act and such fees/cess/cesses/charges shall be utilized for the welfare of farmers and development of market infrastructure:

Provided that the fees/cess/cesses/charges shall be payable by the sponsor and its burden shall not be transferred on the farmer.

(2) Notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955) or in any Control Order issued thereunder or in any other law for the time being in force, the State Government shall, by an order, be entitled to enforce the stock limit in respect of any agricultural produce where there is shortage of such agricultural produce in the State or the prices of such produce go beyond twenty five percent of the maximum price which was prevailing in the market within two years immediately before passing of the order by the State Government.”

6. Amendment of section 13, Central Act No. 20 of 2020.- For the existing section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“13. Dispute settlement.- (1) If any dispute arises between the parties in respect of the provisions of the agreement, either of the parties may submit an application to the market committee to determine the disputes. The

market committee shall resolve the disputes after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(2) The party aggrieved by the decision of the market committee under sub-section (1) may prefer an appeal to the Director within thirty days from the date of decision. The Director shall dispose off the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of Director shall be final.

(3) The decision of the market committee under sub-section (1) and decision in appeal under sub-section (2) shall have force of the decree of a civil court and shall be enforceable as such and decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

(4) Disputes relating to, and arising out of, contract farming agreement shall be settled in accordance with the provisions made hereinabove.

(5) Both parties shall abide by all the provisions of the APMC Act and rules made thereunder and directions issued in this regard by the State Government, from time to time.

(6) Where under a farming agreement, sponsor undertakes the farming by deploying his/its manpower, the sponsor shall be liable to remove his manpower from the agriculture farm/field from the next date of termination of the farming agreement and in the event of manpower of the sponsor continuing in the agricultural farm/field, the sponsor shall be liable to pay damages to the farmer to the tune of such amount as may be notified by the State Government from time to time which shall not be less than one thousand rupees per bigha per day. While deciding the dispute, the Market Committee shall direct the sponsor to remove his/its manpower from the agriculture farm/field and for putting the farmer back to possession, it shall be entitled to take aid of the police. Whenever such requisition is sent, it shall be the duty of the Superintendent of Police of the concerned District to make available the police help within twenty four hours of receipt of the requisition.”.

7. Deletion of section 14, Central Act No. 20 of 2020.-

The existing section 14 of the principal Act shall be deleted.

8. Amendment of section 19, Central Act No. 20 of 2020.- For the existing section 19 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**19. Jurisdiction of civil court.-** The jurisdiction of civil court shall be such as prescribed in the APMC Act.”.

9. Amendment of section 20, Central Act No. 20 of 2020.- For the existing section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**20. Overriding effect.-** In the State of Rajasthan, subject to the provisions of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services (Rajasthan Amendment) Act, 2020 (Rajasthan Act No...of.....), the provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any other instrument having effect by virtue of any law for the time being in force.”.

10. Insertion of new sections 21A, 21B and 21C, Central Act No. 20 of 2020.- After the existing section 21 and before the existing section 22 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

“**21A. Special provisions for the State of Rajasthan.-** (1) Notwithstanding any judgment, decree, or order of any court or any other instrument, status quo before 5th June, 2020 shall be maintained qua the provisions of APMC Act and rules made thereunder.

(2) All notices issued by the Central Government or any authority on its behalf under provisions of this Act, shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken against any person for violating the provisions of this Act.

21B. Punishment for harassment of farmers.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if any person or company or corporate house or any other association or body of persons, whether incorporated or not, commits an offence of harassment, he shall be punishable with a term of

imprisonment of not less than three years and extending upto seven years or fine of not less than five lac rupees or both.

Explanation I.- For the purpose of this section, where the offence is committed by a company, all the directors of the company, where the offence is committed by a limited liability partnership firm, all the partners of such firm and where the offence is committed by a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act No.9 of 1932), all the partners of the said firm who were such directors or, as the case may be, partners at the time of commission of offence, shall be guilty of committing the offence of harassment to the farmer.

Explanation II.- For the purpose of this section, an offence of harassment shall be deemed to have been committed if,-

- (a) a person, firm or company compels or exerts pressure on a farmer or any person associated with agriculture or agro-produce to enter into a sale under contract of agricultural produce in his possession, at a price below the Minimum Support Price; and
- (b) a person, firm or company refuses to accept produce or take delivery of the goods under a farming agreement within a week from the date of intimation by the farmer of the produce being ready for delivery.

21C. Power of State Government to give directions.- The Government may, from time to time, in the larger interest of public, issue such directions to the authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of all the authorities to comply with such directions.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliament has enacted the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, (Central Act No. 20 of 2020), hereinafter referred to as the Central Act, to provide a new regime for production, trade and commerce in agricultural produce.

There has been extraordinary outrage amongst the farmers, farm labourers and all others engaged in incidental and ancillary agricultural activities including those engaged in production, handling and sale of agricultural produce including vegetables, fruits etc. Since the direct consequences of the Central Act would be to nullify the minimum support price mechanism that has stood the test of time and introduce several other infirmities and distortions operating to the grave detriment and prejudice of agriculture and the communities associated with it.

The Parliament has also introduced a mechanism for production, trade and commerce in agricultural produce through this Central Act, that is vulnerable to encroachment and manipulation by vested corporate interests through provisions such as contract farming minus a guarantee of minimum support price and leaving the farmer open to the vagaries of market forces for getting a remunerative price for agricultural produce, fruits and vegetables. No check has been provided against exploitation of farmer.

As per the Agriculture Census 2015-16, 86.2% of farmers own less than five acres of land and a majority of them own less than two acres of land falling in the category of small and marginal farmers and consequently have limited or no access to multiple markets with an inherent handicap of bargaining power to negotiate remunerative price contracts, hence, needing proper protection by the State legislature to ensure a level playing field to prevent exploitation of farmers and to ensure remunerative price for agricultural produce.

This is the primary and principal responsibility of the State Government but the Central Act fails to take into account this imperative and this object of the Indian Constitution.

Agriculture, land and markets is the primary legislative domain of the State falling under Entries 14, 18 and 28 of List-II of

Seventh Schedule of the Constitution of India; and 'production, supply and distribution of goods' is also a State Subject under Entry 27 of List-II read-with, Entry 33 of List-III of Seventh Schedule of the Constitution of India.

The Hon'ble Supreme Court of India in the case of Jayant Verma v/s Union of India has categorically held that as per the constitutional scheme in so far as the agriculture is concerned, it is an exclusive State subject. The State Government, therefore, is of the opinion that the Central Act in so far as it encroaches upon the agriculture and market is beyond the legislative competence of the Parliament. However, the State Government at this stage is of the further opinion that it can protect the interest of the farmers, farm labour and those engaged in incidental activities by amending the Central Act in exercise of its powers vested under Article 254(2) of the Constitution.

Therefore, it is proposed introduce the Rajasthan Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services (Rajasthan Amendment) Bill, 2020 to protect the interest of farmers, farm labourers, those engaged in ancillary and incidental activities relating to production, sale and marketing of agricultural produce as also consumers and for adherence to the minimum support price mechanism.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE FARMERS
(EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT
ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT,
2020**

(Central Act No. 20 of 2020)

XX XX XX XX XX

1. Short title and commencement.- (1) xx xx xx

(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th June, 2020.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "APMC yard" means the physical premises covering Agriculture Produce Market Committee Yard, by whatever name called, established for regulating markets and trade in farming produce under any State Act;

(b) to (l) xx xx xx xx

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) to (o) xx xx xx xx

(p) "State" includes Union territory.

XX XX XX XX XX

5. Pricing of farming produce.- The price to be paid for the purchase of a farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself, and in case, such price is subject to variation, then, such agreement shall explicitly provide for—

(a) to (b) xx xx xx xx

Provided that the method of determining such price or guaranteed price or additional amount shall be annexed to the farming agreement.

XX XX XX XX XX

7. Exemptions with respect to farming produce.- (1) Where a farming agreement has been entered into in respect of any farming produce under this Act, such produce shall be exempt from the application of any State Act, by whatever name called, established for the purpose of regulation of sale and purchase of such farming produce.

(2) Notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or in any control order issued thereunder or in any other law for the time being in force, any

obligation related to stock limit shall not be applicable to such quantities of farming produce as are purchased under a farming agreement entered into in accordance with the provisions of this Act.

XX XX XX XX XX

13. Conciliation board for dispute settlement.- (1) Every farming agreement shall explicitly provide for a conciliation process and formation of a conciliation board consisting of representatives of parties to the agreement:

Provided that representation of parties in such conciliation board shall be fair and balanced.

(2) A dispute arising from any farming agreement shall be first referred to the conciliation board formed as per the provisions of the farming agreement and every endeavour shall be made by such board to bring about settlement of such dispute.

(3) Where, in respect of any dispute, a settlement is arrived during the course of conciliation proceeding, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute and such settlement shall be binding on the parties.

14. Mechanism for dispute resolution.- (1) Where, the farming agreement does not provide for conciliation process as required under sub-section (1) of section 13, or the parties to the farming agreement fail to settle their dispute under that section within a period of thirty days, then, any such party may approach the concerned Sub-Divisional Magistrate who shall be the Sub-Divisional Authority for deciding the disputes under farming agreements.

(2) On receipt of a dispute under sub-section (1), the Sub-Divisional Authority may, if—

(a) the farming agreement did not provide for conciliation process, constitute a conciliation board for bringing about settlement of such dispute; or

(b) the parties failed to settle their dispute through conciliation process, decide the dispute in a summary manner within thirty days from the date of receipt of such dispute, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and pass an order for recovery of the amount under dispute, with such penalty and interest, as it deems fit, subject to the following conditions, namely:—

(i) where the Sponsor fails to make payment of the amount due to the farmer, such penalty may extend to one and half times the amount due;

(ii) where the order is against the farmer for recovery of the amount due to the Sponsor on account of any advance payment or cost of inputs, as per terms of farming agreement, such amount shall not exceed the actual cost incurred by the Sponsor;

(iii) where the farming agreement in dispute is in contravention of the provisions of this Act, or default by the farmer is due to force majeure, then, no order for recovery of amount shall be passed against the farmer.

(3) Every order passed by the Sub-Divisional Authority under this section shall have same force as a decree of a civil court and be enforceable in the same manner as that of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), unless an appeal is preferred under sub-section (4).

(4) Any party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may prefer an appeal to the Appellate Authority, which shall be presided over by the Collector or Additional Collector nominated by the Collector, within thirty days from the date of such order.

(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days.

(6) Every order passed by the Appellant Authority under this section shall have same force as a decree of a civil court and be enforceable in the same manner as that of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(7) The amount payable under any order passed by the Sub-Divisional Authority or the Appellant Authority, as the case may be, may be recovered as arrears of land revenue.

(8) The Sub-Divisional Authority or the Appellate Authority shall, while deciding disputes under this section, have all the powers of a civil court for the purposes of taking evidence on oath, enforcing the attendance of

witnesses, compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed by the Central Government.

(9) The manner and procedure for filing a petition or an application before the Sub-Divisional Authority and an appeal before the Appellate Authority shall be such as may be prescribed by the Central Government.

XX XX XX XX XX

19. Bar of jurisdiction of civil court.- No civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any dispute which a Sub-Divisional Authority or the Appellate Authority is empowered by or under this Act to decide and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or any rules made thereunder.

20. Act to have an overriding effect.- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any State law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any such law other than this Act:

Provided that a farming agreement or such contract entered into under any State law for the time being in force, or any rules made thereunder, before the date of coming into force of this Act, shall continue to be valid for the period of such agreement or contract.

XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं.31

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर
करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) के विनियामक ढांचे के माध्यम से राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए सुनिश्चित किये गये कृषि रक्षोपायों को पुनःस्थापित करने की दृष्टि से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 1 का संशोधन.- कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 20), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1

की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"

3. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "कृषि उपज मण्डी अधिनियम" से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) अभिप्रेत है;";

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खख) "निदेशक" से राजस्थान राज्य का कृषि विपणन निदेशक अभिप्रेत है;";

(iii) विद्यमान खण्ड (ज) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ट) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(जज) "मण्डी समिति" से कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ix) में यथापरिभाषित मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(जजज) "मण्डी यार्ड" से कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा अधिसूचित प्रधान मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या निजी उप-मण्डी यार्ड अभिप्रेत है;

(जजजज) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से कृषि लागत और मूल्य आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए घोषित मूल्य अभिप्रेत है;";

(iv) विद्यमान खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) "विहित" से केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;" और

(v) विद्यमान खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(त) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।"

4. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि किसी फसल के विक्रय या क्रय के लिए कोई कृषि करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसी कृषि उपज के लिए संदत्त कीमत उस फसल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक न हो।"

5. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"7. कृषि उत्पाद का फीस/उपकर/उपकरों/प्रभारों के लिए दायी होना.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पाद के संबंध में कोई कृषि करार किया गया है, वहां ऐसी उपज कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अधीन संदेय फीस/उपकर/उपकरों/प्रभारों के लिए दायी होगी और ऐसी फीस/उपकर/उपकरों/प्रभारों का उपयोग कृषकों के कल्याण और मण्डी अवसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा:

परन्तु फीस/उपकर/उपकरों/प्रभार प्रायोजक द्वारा संदेय होंगे और इनका भार कृषक पर अंतरित नहीं किया जायेगा।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) या तदधीन जारी किये गये नियंत्रण आदेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आदेश द्वारा, किसी कृषि उपज के संबंध में स्टॉक सीमा को प्रवृत्त करने की हकदार होगी जहां राज्य में कहीं ऐसी कृषि उपज की कमी हो जाती है या ऐसी उपज की कीमत ऐसी अधिकतम कीमत, जो राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किये जाने से ठीक पूर्व के दो वर्ष के भीतर-भीतर मण्डी में प्रचलित थी, से पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाती है।"।

6. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13. **विवाद का निपटारा.-** (1) यदि करार के उपबंधों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों में से कोई भी पक्षकार विवादों के अवधारण के लिए मण्डी समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मण्डी समिति, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवादों का समाधान करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन, मण्डी समिति के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर निदेशक को अपील कर सकेगा। निदेशक पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का निस्तारण करेगा और निदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन मण्डी समिति का विनिश्चय और उप-धारा (2) के अधीन अपील का विनिश्चय किसी सिविल

न्यायालय की डिक्री का प्रभाव रखेगा और उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा और डिक्रीत रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) संविदा कृषि करार से संबंधित और उद्भूत होने वाले विवाद ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अनुसार तय किये जायेंगे।

(5) दोनों पक्षकार, कृषि उपज मण्डी अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये निदेशों का पालन करेंगे।

(6) जहां किसी कृषि करार के अधीन, प्रायोजक अपनी जनशक्ति को काम में लगाकर कृषि का जिम्मा लेता है वहां प्रायोजक कृषि करार के पर्यवसान के ठीक बाद की तारीख से कृषि फार्म/खेत से अपनी जनशक्ति हटाने का दायी होगा और कृषि फार्म/खेत में प्रायोजक की जनशक्ति के बने रहने की दशा में प्रायोजक, कृषक को ऐसी रकम के बराबर, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, जो कि एक हजार रुपये प्रति बीघा प्रतिदिन से कम की नहीं होगी, नुकसानी संदत करने का दायी होगा। विवाद का विनिश्चय करते समय मण्डी समिति, प्रायोजक को कृषि फार्म/खेत से अपनी जनशक्ति हटाने और कृषक को वापस कब्जा देने के निदेश देगी, वह पुलिस की सहायता लेने की भी हकदार होगी। जब कभी ऐसी अध्यपेक्षा भेजी जाये तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर पुलिस सहायता उपलब्ध करवाये।"।

7. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 14 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 हटायी जायेगी।

8. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"19. सिविल न्यायालय की अधिकारिता.- सिविल न्यायालय की अधिकारिता ऐसी होगी जैसीकि कृषि उपज मण्डी अधिनियम में विहित है।"

9. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20. **अध्यारोही प्रभाव.-** कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 (..... का राजस्थान अधिनियम सं.) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राजस्थान राज्य में, इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।"

10. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 20 में नयी धाराओं 21क, 21ख और 21ग का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 21 के पश्चात् और विद्यमान धारा 22 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"21क. **राजस्थान राज्य के लिए विशेष उपबंध.-** (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी अन्य लिखत के होते हुए भी, कृषि उपज मण्डी अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों की 5 जून, 2020 से यथापूर्व की स्थिति बनायी रखी जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार या उसके निमित्त किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये समस्त नोटिस निलंबित हुए समझे जायेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दायिद्वक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

21ख. कृषकों के उत्पीड़न के लिए दण्ड.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी या कॉरपोरेट हाउस या कोई अन्य संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, उत्पीड़न का अपराध कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और जो सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहां अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां ऐसी कंपनी के समस्त निदेशक, जहां अपराध किसी सीमित दायित्व भागीदारी फर्म द्वारा कारित किया जाता है, वहां ऐसी फर्म के समस्त भागीदार और जहां अपराध भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भागीदारी फर्म द्वारा कारित किया जाता है, वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, जो अपराध के कारित किये जाने के समय ऐसे निदेशक या, यथास्थिति, भागीदार थे, कृषक का उत्पीड़न करने के अपराध को कारित किये जाने के दोषी होंगे।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, उत्पीड़न का कोई अपराध कारित किया गया समझा जायेगा, यदि,-

(क) कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी किसी कृषक या कृषि अथवा कृषि-उपज से संबद्ध किसी व्यक्ति को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की कीमत पर उसके कब्जे में की कृषि उपज का संविदा के अधीन विक्रय करने के लिए विवश करता है या दबाव डालता है; और

(ख) कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी कृषक द्वारा परिदान के लिए तैयार उपज की सूचना दिये जाने की तारीख से एक

सप्ताह के भीतर-भीतर किसी कृषि करार के अधीन उपज को स्वीकार करने या माल का परिदान लेने से इंकार करता है।

21ग. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.- सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, वृहद् लोकहित में, समय-समय पर, प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसाकि वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना उन समस्त प्राधिकारियों का कर्तव्य होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद् ने कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य की नई व्यवस्था का उपबंध करने के लिए कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 20), जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है, अधिनियमित किया है।

कृषकों, कृषि श्रमिकों और सागभाजी, फलों इत्यादि सहित कृषि उपज के उत्पादन, संचालन और विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए आनुषंगिक और प्रासंगिक कृषि क्रियाकलापों में लगे हुए समस्त अन्य व्यक्तियों में असाधारण रोष है। चूंकि इस केन्द्रीय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है, को निष्प्रभावी करना होगा और इससे कृषि तथा इससे संबद्ध समुदायों के गंभीर अहित और पूर्वाग्रह को संचालित करने वाली विभिन्न अन्य दुर्बलताएं और विकृतियां उत्पन्न होंगी।

संसद् ने इस केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से कृषि उपज के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य के लिए एक ऐसे तंत्र की भी शुरुआत की है जो कि इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों, जैसेकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के अभाव में संविदा कृषि, के माध्यम से निहित कॉरपोरेट हितों द्वारा अधिक्रमण और छल-कपट के प्रति असुरक्षित है और यह कृषक को कृषि उपज, फलों और सागभाजी की लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए मण्डी शक्तियों के उतार चढ़ाव के सामने खुला छोड़ देता है। कृषक के शोषण के विरुद्ध रोक का कोई उपबंध नहीं किया गया है।

2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार 86.2 प्रतिशत कृषक पांच एकड़ से कम की भूमि का स्वामित्व रखते हैं और उनमें से

अधिकांश दो एकड़ से कम की भूमि का स्वामित्व रखने वाले लघु और सीमांत कृषकों के प्रवर्ग में आते हैं और परिणामस्वरूप उनकी लाभकारी मूल्य संविदा की सौदेबाजी के लिए मोलभाव शक्ति की अंतर्निहित अक्षमता के कारण बहुल मण्डियों तक सीमित पहुंच होती है या बिल्कुल नहीं होती है, अतः कृषकों को समान अवसर देना सुनिश्चित करने, उनके शोषण को रोकने और कृषि उपज की लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधान-मण्डल द्वारा समुचित संरक्षण अपेक्षित है।

यह राज्य सरकार की प्राथमिक और प्रमुख जवाबदेही है किन्तु यह केन्द्रीय अधिनियम भारतीय संविधान की इस अनिवार्यता और इस उद्देश्य का ध्यान रखने में विफल रहा है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टियों 14, 18 और 28 के अधीन कृषि, भूमि और बाजार राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार-क्षेत्र है; और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3 की प्रविष्टि 33 के साथ पठित सूची-2 की प्रविष्टि 27 के अधीन 'माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण' भी राज्य का विषय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जयंत वर्मा बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट रूप से धारित किया है कि जहां तक कृषि का संबंध है, सांविधानिक स्कीम के अनुसार यह अनन्य रूप से राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकार की यह राय है कि यह केन्द्रीय अधिनियम जहां तक कि वह कृषि और मण्डी पर अधिक्रमण करता है वह संसद् की विधायी सक्षमता के परे है। तथापि, इस प्रक्रम पर राज्य सरकार की आगे यह राय है कि वह संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करके कृषकों, कृषि श्रमिकों और आनुषंगिक क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के हितों की संरक्षा कर सकती है।

इसलिए, कृषकों, कृषि श्रमिकों, और जो कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय और विपणन से संबंधित प्रासंगिक और आनुषंगिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र का पालन करने के लिए कृषक

(सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 20) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) XX XX XX XX XX

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "एपीएमसी यार्ड" से किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन कृषि उत्पाद में बाजार और व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित किए गए कृषि उत्पाद विपणन समिति यार्ड को समाविष्ट करने वाले कोई भी भौतिक परिसर, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(ख) से (ठ) XX XX XX XX XX

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) से (ण) XX XX XX XX XX

(त) "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी हैं।

XX XX XX XX XX

5. कृषि उत्पाद की कीमत लगाना.- किसी कृषि उत्पाद के क्रय के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत कृषि करार में ही अवधारित और उल्लिखित की जा सकेंगी और ऐसी दशा में जब ऐसी कीमत फेरफार के अध्यक्षीन है तब ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए स्पष्ट उपबंध किया जाएगा-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

परंतु ऐसी कीमत या प्रत्याभूत कीमत या अतिरिक्त रकम की पद्धति को कृषि करार के साथ उपाबद्ध किया जाएगा।

XX

XX

XX

XX

XX

7. कृषि उत्पाद के संबंध में छूट.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पाद के संबंध में कोई कृषि करार किया गया है, वहां ऐसा उत्पाद ऐसे कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनियमन के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के, जिस भी नाम से ज्ञात हो, लागू होने से छूट प्राप्त होगा।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है।

XX

XX

XX

XX

XX

13. विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड.- (1) प्रत्येक कृषि करार में, करार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने किसी सुलह बोर्ड की सुलह प्रक्रिया और उसका बनाया जाना स्पष्ट रूप से उपबंधित होगा:

परंतु ऐसे सुलह बोर्ड में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उचित और संतुलित होगा।

(2) किसी भी कृषि करार से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को पहले कृषि करार के उपबंधों के अनुसार बनाए गए सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बोर्ड द्वारा ऐसे विवाद के समझौते के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(3) जहां किसी भी विवाद के संबंध में सुलह कार्यवाही के प्रक्रम के दौरान समझौता हो जाता है, वहां तदनुसार समझौता ज्ञापन तैयार

किया जाएगा और उस पर ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ऐसा समझौता पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

14. विवाद समाधान के लिए तंत्र.- (1) जहां कृषि करार में धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सुलह प्रक्रिया का उपबंध नहीं है या कृषि करार के पक्षकार उस धारा के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं, वहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है जो कृषि करारों के अधीन विवादों का विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद की प्राप्ति पर उपखंड प्राधिकारी,-

(क) यदि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं है, तो ऐसे विवाद का समझौता करने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगा; या

(ख) यदि पक्षकार, सुलह प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे विवाद की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विवाद का विनिश्चय कर सकेगा और विवाद के अधीन रकम की ऐसी शास्ति और ब्याज सहित जो वह उचित समझे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा अर्थात्:-

(i) जहां प्रायोजक कृषक को देय रकम का संदाय करने में असफल होता है वहां ऐसी शास्ति देय रकम से डेढ़ गुणा तक हो सकेगी;

(ii) जहां आदेश कृषि करार के निबंधानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत के कारण प्रायोजक को देय रकम की वसूली के लिए कृषक के विरुद्ध किया जाता है तो

ऐसी रकम प्रायोजक द्वारा उपगत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी;

(iii) जहां विवादित कृषि करार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं या कृषक द्वारा व्यतिक्रम अनिवार्य बाध्यता के कारण है तो कृषि के विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा, जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और वह उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन कोई डिक्री होती है जब तक कि उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न कर दी गई हो।

(4) उपखंड प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी पक्षकार अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा या कलेक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलेक्टर द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

(5) अपील प्राधिकारी अपील का निपटारा तीस दिन के भीतर करेगा।

(6) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी डिक्री का होता है।

(7) यथास्थिति, उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन संदेय रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी।

(8) उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास, इस धारा के अधीन विवाद को विनिश्चित करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे

अन्य प्रयोजनों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(9) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

XX XX XX XX XX

19. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विवाद के संबंध में, जिसका विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, कोई भी वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।

20. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी ऐसी विधि के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में किसी असंगत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे:

परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किया गया कोई कृषि करार या ऐसी संविदा, ऐसे करार या संविदा की अवधि के लिए विधिमान्य होती रहेगी।

XX XX XX XX XX

**THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION)
AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM
SERVICES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend, and add special provisions in, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 in its application to the State of Rajasthan, with a view to restore the agricultural safeguards for the farmers of the State of Rajasthan ensured through the regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm labourers and also all others engaged in agriculture and related activities.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, Minister-Incharge)

2020 का विधेयक सं.31

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर
करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) के विनियामक ढांचे के माध्यम से राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए सुनिश्चित किये गये कृषि रक्षोपायों को पुनःस्थापित करने की दृष्टि से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोट, प्रभारी मंत्री)